पत्रांक-बजट-36-मु0व्या0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 248 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(बजट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // 31.07.2025

अपर आयुक्त, राज्य कर,
गौतमबुद्व नगर ।
समस्त अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत व्यास पोर्टल पर कार्यवाही किये जाने विषयक ।

कृपया पत्र के साथ संलग्न सूची का अवलोकन करने का कष्ट करें, सूची में इंगित प्रकरण आपके अथवा आपके अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित, दर्शित हो रहे है ।

आपको निर्देश दिये जाते है कि सूची में इंगित प्रकरण यदि उचित प्रतीत होते है तो उन्हें व्यास पोर्टल के माध्मय से तत्काल मुख्यालय अग्रसारित करने/ यदि उचित प्रतीत नही होते है/देय योग्य नही है तो निरस्त करने तथा यदि कोई कमी पायी जा रही है तो उसे तत्काल दावेदार को व्यास पोर्टल के माध्मय से वापस करने का कष्ट करें, ताकि कोई भी प्रकरण आपके अथवा आपके अधीनस्थ कार्यालय स्तर पर लम्बित प्रदर्शित न हो ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि लम्बित प्रकरणो के सम्बन्ध आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या–714 दिनांक 27.01.2025 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार आनलाइन माध्यम से समस्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रातीशीघ्र किया जा सके।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

संलग्नक-यथोपरि ।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।
2- समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त खण्डाधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।